प्रेस नोट दिनाँक-08.11.2022

(1). दिनाँक-08.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

(2). आज दिनांक 08.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइऩ, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). आज दिनांक 08.11.2022 श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त देव कुमार यादव पुत्र रामकिशुन निवासी विलास थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 30 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी थाना सरधुवा

2. आरक्षी अमित सिंह

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री दीपेन्द्र कुमार मिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना राजापुर व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त मुकेश कुमार निषाद पुत्र देवपाल निषाद निवासी केवटरहा बाबा घाट कस्बा राजापुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरूद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 213/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना राजापुर

2.आरक्षी पंकज राय

(5). आज दिनाँक-08.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी मऊ श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय द्वारा थाना मऊ में थाना मऊ एवं बरगढ़ के विवेचकों का अर्दली रूम किया गया। अर्दली रूम में लम्बित विवेचनाओँ की समीक्षा कर सम्बन्धित विवेचक से लम्बित रखने का कारण पूछते हुए गुण दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
अर्दली रूम में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजीव कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना बरगढ़ श्री योगेश तिवारी एवं अन्य विवेचकगण उपस्थित रहे

(6). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री दीपेन्द्र कुमार मिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना राजापुर व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त मुकेश कुमार निषाद पुत्र देवपाल निषाद निवासी केवटरहा बाबा घाट कस्बा राजापुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरूद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 213/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना राजापुर
2.आरक्षी पंकज राय

(7). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री राकेश मौर्य द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 08/2022 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त राजेश रैदास पुत्र कल्लू रैदास निवासी चर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के विरूद्ध मान0 न्यायालय द्वारा धारा 82 सीआरपीसी के अन्तर्गत जारी की गयी नोटिस को अभियुक्त के घर के दरवाजें पर चस्पा की गयी एवं ग्राम में मुनादी करायी गयी।